


दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15/3/22	<p>पत्रावली वास्ते बक्स कुर्रजात हेतु दिनांक 15-3-2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। सी डिस्ट्रिक्ट एंड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्णतः तार दिनांक 24/3/22 को पेश हो।</p>	
24/3/2022	<p>पत्रावली पेश हुई। वॉफ० 35०। उमरपूर अधिकाशासन की कुर्रजात रिपोर्ट पर बक्स सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने मौखिक आपील जाहिर कि प्रतिवादी को आगे की ओर (front) पर जमीन का मिली है तथा वादी को अधिक दी गई है।</p> <p>पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10.4.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर</p>	
10.4.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। वॉफ० 35०। कुर्रजात रिपोर्ट व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसमें जाहिर होता है कि आपीलकर्ता का शजहब रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार आगे की ओर (front) पर जमीन दी गई है, साथ ही कुर्रजात रिपोर्ट पूर्व में भी प्रतिवादी की आपील पर सुनकर ही पुनः कुर्रजात रिपोर्ट मंगवाई गई है। जिसमें आपीलकर्ता के बिन्दुओं को समाहित करते हुए पुनः कुर्रजात रिपोर्ट तहसीलदार आके से मंगवाई गई है। इसलिए आपील स्वीकार किया नहीं है। अतः तहसीलदार आके से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर दावा डिक्ली किया जाता है। निर्वय व डिक्ली प्रत्येक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर</p>	

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा

आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 164/2017

वाद प्रस्तुति दिनांक : 26.12.2017

1. गोमा पुत्र श्री कृष्ण
2. सीताराम पुत्र श्री कृष्ण ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

--- वादीगण

बनाम

1. भगवान सहाय पुत्र देवा (मृतक दौराने वाद)

1/1 मु0 सोनी देवी धर्मपत्नी भगवान सहाय

1/2 सुरेश कुमार पुत्र स्व0 भगवान सहाय

1/3 लालचन्द पुत्र भगवान सहाय

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा
आमेर जिला जयपुर।

तहसील

1/4 बिमला देवी पुत्री भगवान सहाय पत्नी श्री सुरेश कुमार

1/5 मन्नी देवी पुत्री स्व0 भगवान सहाय पत्नी लालचन्द

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला
जयपुर।

1/6 ममता देवी पुत्री स्व0 भगवान सहाय पत्नी मोहन लाल जाति बागडा
ब्राह्मण निवासी प्लॉट नम्बर ए-8 सन्त बन्धु नगर, अल्का सिनेमा
के पास सीकर रोड जयपुर।

1/7 हंसा देवी पुत्री भगवान सहाय पत्नी राजकुमार जाति बागडा ब्राह्मण
निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

2. श्रीमति भगवती पत्नी स्व0 जगदीश प्रसाद

3. बनवारी पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद

4. राकेश पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर
जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

5. श्रीमति ललिता धर्मपत्नी सुरेश पुत्री स्व० जगदीश प्रसाद जाति बागडा ब्राह्मण हाल निवासी प्रताप नगर चौराहा सिन्धू नगर मुरलीपुरा जयपुर।
6. हनुमान सहाय पुत्र देवा
7. सुख देव पुत्र देवा
8. मंगली देवी बेवा मंगलचन्द
9. नीमू उम्र 19 वर्ष पुत्री स्व० मंगलचन्द



समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जयपुर।

---प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:-

1. मुकेश कुमार पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 51/592, सुरेश कुमार पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 51/592 राहिन RMGB शाखा राधाकिशनपुरा, हनुमान सहाय पुत्र देवा हिस्सा 1/5 सुखदेवा पुत्र देवा हिस्सा 1/5, राहिन RMGB शाखा राधाकिशनपुरा, नीमू उर्फ निर्मला पुत्री मंगलचन्द हिस्सा 1/10, बनवारी पुत्र जगदीश हिस्सा 1/10, भगवती देवी पत्नी जगदीश प्रसाद हिस्सा 41/1480 मंगली देवी पत्नी मंगल चन्द हिस्सा 1/10, राकेश कुमार पुत्र जगदीश हिस्सा 1/10 जाति बागडा ब्राह्मण सा.देह खातेदार की खसरा नम्बर 71 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138/1 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 473/1 रकबा 1.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 474/1 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 472/565 रकबा 0.03 हैक्टेयर, कुल क्तिता 10 कुल रकबा 3.69 हैक्टेयर भूमि रहेगी, जिसे सलंगन नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।
2. गोमा पुत्र श्रीकृष्ण हिस्सा 1/2, सीताराम पुत्र श्रीकृष्ण हिस्सा 1/2, राहिन RMGB शाखा राधाकिशनपुरा, जाति बागडा ब्राह्मण सा.देह खातेदार के खसरा नम्बर 78 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0

1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138/2 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 473/2 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 474/2 रकबा 1.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.31 हैक्टेयर, कुल क्रिता 12 कुल रकबा 3.69 हैक्टेयर भूमि रहेगी, जिसे सलंगन नक्शे में हरा रंग से दर्शाया गया है।

3. गोमा पुत्र श्रीकृष्ण हिस्सा 1/4, सीताराम पुत्र श्रीकृष्ण हिस्सा 1/4, मुकेश कुमार पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 51/1184, सुरेश कुमार पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 51/1184, हनुमान सहाय पुत्र देवा हिस्सा 1/10 सुखदेवा पुत्र देवा हिस्सा 1/10 राहिन RMGB शाखा राधाकिशनपुरा, नीमू उर्फ निर्मला पुत्री मंगलचन्द हिस्सा 1/20, बनवारी पुत्र जगदीश हिस्सा 1/20, भगवती देवी पत्नी जगदीश प्रसाद हिस्सा 41/2960 मंगली देवी पत्नी मंगलचन्द हिस्सा 1/20 राकेश कुमार पुत्र जगदीश हिस्सा 1/20 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा.देह खातेदार खसरा नम्बर 474/3 रकबा 0.0200 कुल क्रिता 1 कुल रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि रहेगी, जिसे सलंगन नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 01.04.2022 को जारी किया।

दस्तख्त-----
ओहदा-----



सहायक कलेक्टर
आमेर मू. जयपुर
आमेर मू. जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	-	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	-
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमि		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रुपये		श्नर	4 रुपये	
मुतफरित			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मीजान			मुतफरित		
			मीजान		

न्यायालय :- सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 164/2017 वाद प्रस्तुति दिनांक : 26.12.2017

1. गोमा पुत्र श्री कृष्ण
2. सीताराम पुत्र श्री कृष्ण ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

--- वादीगण

बनाम



1. भगवान सहाय पुत्र देवा (मृतक दौराने वाद)

1/1 मु0 सोनी देवी धर्मपत्नी भगवान सहाय

1/2 सुरेश कुमार पुत्र स्व0 भगवान सहाय

1/3 लालचन्द पुत्र भगवान सहाय

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/4 बिमला देवी पुत्री भगवान सहाय पत्नी श्री सुरेश कुमार

1/5 मन्नी देवी पुत्री स्व0 भगवान सहाय पत्नी लालचन्द

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/6 ममता देवी पुत्री स्व0 भगवान सहाय पत्नी मोहन लाल जाति बागडा ब्राह्मण निवासी प्लॉट नम्बर ए-8 सन्त बन्धु नगर, अल्का सिनेमा के पास सीकर रोड जयपुर।

1/7 हंसा देवी पुत्री भगवान सहाय पत्नी राजकुमार जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

2. श्रीमति भगवती पत्नी स्व0 जगदीश प्रसाद

3. बनवारी पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद

4. राकेश पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद

सहायक कलेक्टर
आमेर

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील
आमेर जिला जयपुर।

5. श्रीमति ललिता धर्मपत्नी सुरेश पुत्री स्व० जगदीश प्रसाद जाति
बागडा ब्राह्मण हाल निवासी प्रताप नगर चौराहा सिन्धू नगर
मुरलीपुरा जयपुर।
6. हनुमान सहाय पुत्र देवा
7. सुख देव पुत्र देवा
8. मंगली देवी बेवा मंगलचन्द
9. नीमू उम्र 19 वर्ष पुत्री स्व० मंगलचन्द



समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील
आमेर जिला जयपुर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जयपुर।

---प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित
किया गया है कि अराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72
रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 78
रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82
रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 85
रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90
रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138
रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141
रकबा 0.42 हैक्टेयर खसरा नम्बर 144 रकबा 0.45, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.
31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 472/565 रकबा 0.03 है, खसरा नम्बर 473 रकबा 1.
65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 474 रकबा 1.55 हैक्टेयर कुल किता 19 कुल रकबा
7.40 हैक्टेयर वाके ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा तहसील
आमेर जिला जयपुर में स्थित हैं। वादग्रस्त आराजीयात के वादीगण एवं प्रतिवादी
संख्या 1 लगायत 9 रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। वादग्रस्त आराजीयात में
वादीगण का 1/2 हिस्सा हैं। शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का हैं।

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 वादग्रस्त आराजीयात को बहामी रजाबंदी से हिस्से अनुसार अलग-अलग काश्त कर काश्त एवं प्राकृतिक उपज का उपयोग एवं उपभोग कर लाभान्वित होते एवं लगान की अदायगी करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 की सहखातेदारी की आराजीयात हैं जिसका आज तक कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजीयात में पक्षकारान् ने अपने-अपने हिस्से की आराजी में रहवास के लिए मकान, पशुओं के लिए टीनशेड वगैरह व पानी के बोरिंग कर रखे हैं जिनमें पक्षकारान् रहते हैं, पशु रखते हैं बॉरिंग से सिंचाई कर फसल पैदार करते हैं। वादीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है जबकि प्रतिवादीगण झगझालू किस्म के व संख्याबल में अधिक व्यक्ति है जो कानून को हाथ में लेकर कभी तो रास्ता बंद करते हैं तथा कभी अनावश्यक रूप से बिना वजह सीव को लेकर झगडा करते हैं। जिसके संबंध में पूर्व में पक्षकारान् के मध्य शांति भंग के प्रकरण भी चले है। अभी हाल ही में वादीगण बाहमी रजामंदी से अपने हिस्से में आई काबिज भूमि में डण्डे का निर्माण करवा रहे थे जिसको प्रतिवादीगण ने दिनांक 9.12.2017 को गाली गलौच व झगडे पर आमामादा होकर रूकवा दिया तथा विधवत् बंटवारा कराने से मनाकर दिया। वादीगण वादग्रस्त आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्ध कराने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद-पत्र के मद सं. 1 में वर्णित आराजीयात खसरा 71 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.42 हैक्टेयर खसरा नम्बर 144 रकबा 0.45, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 472/565 रकबा 0.03 है, खसरा नम्बर 473 रकबा 1.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 474 रकबा 1.55 हैक्टेयर कुल किता 19 कुल रकबा 7.40 हैक्टेयर वाके ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्से 1/2 की कृषि भूमि की खातेदारी व लगान अलग से निर्धारित किया जावे जो भू-भाग विभाजन में वादीगण के हिस्से में आवे उस पर



तन्हा वादीगण का कब्जा कराया जावे। ऐसा कृत्य करने के लिए प्रतिवादी संख्या 10 को आदेशित व निर्देशित किया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में अंकित किया गया है कि राजस्व रिकोर्ड दर्ज हिस्सेनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का बिज काश्त होकर उपयोग एवं उपभाग करते आ रहे हैं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानून विभाजन नहीं हुआ है। वादी स्वयं झगडालु किस्म के व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण के बहामी बंटवारे के आधार पर हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त में आये दिन व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः जवाब दावे में वर्णित तथ्य के आधार पर वाद खारिज करवाया जाये।

पत्रावली दिनांक 07.05.2018 को राजस्व कैम्प ग्राम राधाकिशनपुरा में पेश हुई। वाद वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि वे विवादित भूमि खसरा खसरा नम्बर 75 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.45, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 472/565 रकबा 0.03 है, खसरा नम्बर 473 रकबा 1.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 474 रकबा 1.55 हैक्टेयर कुल किता 19 कुल रकबा 7.40 हैक्टेयर वाके ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा तहसील आमेर का मौके पर उभयपक्षों की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा कर कुरेजात् भिजवाये।

उपतहसीलदार मुण्डोता आमेर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भूअ/22/02 दिनांक 04.01.2022 के द्वारा कुरेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये हैं।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की कुरेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने मौखिक आपत्ति जाहिर कर कहा कि प्रतिवादी को आगे की ओर (Front) पर जमीन कम मिली है तथा वादी को अधिक दी गई है।



सहायक कलक्टर
कला 3, जयपुर

कुर्रैजात व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया जिसमें जाहिर होता है कि आपत्तिकर्ता का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार आगे की ओर (Front) पर जमीन दी गई है साथ ही कुर्रैजात रिपोर्ट पूर्व में भी प्रतिवादी की आपत्ति पर सुनकर ही पुनः कुर्रैजात रिपोर्ट मंगवाई गई है, जिसमें आपत्तिकर्ता के बिन्दुओं को समाहित करते हुए पुनः कुर्रैजात रिपोर्ट तहसीलदार आमेर से मंगवाई गई है। इसलिए आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-

1. मुकेश कुमार पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 51/592, सुरेश कुमार पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 51/592 राहिन RMGB शाखा राधाकिशनपुरा, हनुमान सहाय पुत्र देवा हिस्सा 1/5 सुखदेवा पुत्र देवा हिस्सा 1/5, राहिन RMGB शाखा राधाकिशनपुरा, नीमू उर्फ निर्मला पुत्री मंगलचन्द हिस्सा 1/10, बनवारी पुत्र जगदीश हिस्सा 1/10, भगवती देवी पत्नी जगदीश प्रसाद हिस्सा 41/1480 मंगली देवी पत्नी मंगल चन्द हिस्सा 1/10, राकेश कुमार पुत्र जगदीश हिस्सा 1/10 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा.देह खातेदार की खसरा नम्बर 71 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138/1 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 473/1 रकबा 1.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 474/1 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 472/565 रकबा 0.03 हैक्टेयर, कुल किता 10 कुल रकबा 3.69 हैक्टेयर भूमि रहेगी, जिसे सलंगन नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।
2. गोमा पुत्र श्रीकृष्ण हिस्सा 1/2, सीताराम पुत्र श्रीकृष्ण हिस्सा 1/2, राहिन RMGB शाखा राधाकिशनपुरा, जाति बागड़ा ब्राह्मण सा.देह खातेदार के खसरा नम्बर 78 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138/2 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 473/2 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 474/2 रकबा 1.3400 हैक्टेयर,



खसरा नम्बर 145 रकबा 0.31 हैक्टेयर, कुल क्रिता 12 कुल रकबा 3.69 हैक्टेयर भूमि रहेगी, जिसे सलंगन नक्शे में हरा रंग से दर्शाया गया है।

3. गोमा पुत्र श्रीकृष्ण हिस्सा 1/4, सीताराम पुत्र श्रीकृष्ण हिस्सा 1/4, मुकेश कुमार पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 51/1184, सुरेश कुमार पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 51/1184, हनुमान सहाय पुत्र देवा हिस्सा 1/10 सुखदेवा पुत्र देवा हिस्सा 1/10 राहिन RMGB शाखा राधाकिशनपुरा, नीमू उर्फ निर्मला पुत्री मंगलचन्द हिस्सा 1/20, बनवारी पुत्र जगदीश हिस्सा 1/20, भगवती देवी पत्नी जगदीश प्रसाद हिस्सा 41/2960 मंगली देवी पत्नी मंगलचन्द हिस्सा 1/20 राकेश कुमार पुत्र जगदीश हिस्सा 1/20 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा.देह खातेदार खसरा नम्बर 474/3 रकबा 0.0200 कुल क्रिता 1 कुल रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि रहेगी, जिसे सलंगन नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफतर हो।



सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर
सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर